विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार हन्दन हजाम, पिता - घासी हजाम को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के पुत्र मधनु हजाम द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम पालेमुण्डा खाता सं.-101, रकबा:- 0.62 एकड़ वर्ष — का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान मधनु हजाम ने अपना बयान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त विषयगत जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है. अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हन्दन हजाम, पिता - घासी हजाम, ग्राम - पालेमुण्डा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
पालेमुण्डा	63	101	2285 2513	0.62 एकड़

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी
बोलबा
07/9/21

अंचल अधिकारी,
बोलबा
07/09/21

Digitally signed by Baliram Manjhi
Date: 2021.09.03 16:14:27 +05:30
Location: 192.168.43.44

Scanned with CamScanner